

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00292

चतरा पुत्र कान्हा एवं भवनी बाई पुत्री कान्हा कौम भील निवासी ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्याम सुन्दर पुत्र चेलाराम जाति पंजाबी निवासी 3-के-8, तलवण्डी कोटा ।
2. मुनीर मोहम्मद आत्मज मोहम्मद मुश्तार जाति मुसलमान निवासी 5 - बी- 17, विज्ञान नगर, कोटा ।
3. जगदीश पुत्र गोवर्धन नागर धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. देवकिशन पुत्र भीमशंकर नागर जाति धाकड निवासी हाजी कृषि फार्म, झालावाड रोड, खानपुर ।
5. बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. रोजीन अंसानी पत्नी मोहम्मद सईद जाति मुसलमान निवासी 5-बी-17, विज्ञान नगर, कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
8. भैरू पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. सुल्तान पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. डिमला पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. मंजू बेवा बसन्ता जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. बन्टी पुत्र बसन्ता, जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2018/00340

1. श्याम सुन्दर पुत्र चेलाराम जाति पंजाबी निवासी 3-के-8, तलवण्डी कोटा ।
2. मुनीर मोहम्मद आत्मज मोहम्मद मुश्तार जाति मुसलमान निवासी 5 - बी- 17, विज्ञान नगर, कोटा ।
3. रोजीना अंसानी पत्नी मोहम्मद सईद जाति मुसलमान निवासी 5-बी-17, विज्ञान नगर, कोटा ।

—अपीलान्ट

## बनाम

1. चतरा पुत्र कान्हा एवं भवनी बाई पुत्री कान्हा कौम भील निवासी ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. भवानी बाई पुत्री स्व० कान्हा जाति भील निवासीगण ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. जगदीश पुत्र गोवर्धन नागर धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. देवकिशन पुत्र भीमशंकर नागर जाति धाकड निवासी हाजी कृषि फार्म, झालावाड रोड, खानपुर ।
5. बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. भैरू पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. सुल्तान पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. डिमला पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. मंजू बेवा बसन्ता जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. बन्टी पुत्र बसन्ता, जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडन्ट

- उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्र वर्मा, श्री मनोज पुरी, अभिभाषक, अपील संख्या 18/00292 में अपीलान्त की ओर से एवं अपील संख्या 18/00340 में रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।
  2. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, अपील संख्या 18/00340 में अपीलान्त की ओर से एवं अपील संख्या 18/00292 में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।
  3. श्री मोहम्मद रफीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 8 लगायत 12 की ओर से
  4. पैरोकार सरकार, अपील संख्या 2018/00292 में रेस्पोडेन्ट क्रम 07 की ओर से एवं अपील संख्या 2018/00340 में रेस्पोडेन्ट क्रम 11 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक: 29.10.2021

1. अपीलान्त द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।

*ml*

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति अलग-अलग पत्रावली में संलग्न की जावे।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी चतरा ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लखावा जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 06 किता की रकबा 1.46 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 217 रकबा 0.38 हैक्टर कान्हा के वारिसान द्वारा मोहनलाल आत्मज किशोर जाति मीणा निवासी गामछ को बेचान कर दिया जिस पर वादीगण का कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है। सेटलमेंट विभाग ने वादीगण के खातेदारी में दर्ज की गई शेष खसरा नम्बरान की भूमि को प्रतिवादी क्रम 01 के खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त आराजी को पीर मोहम्मद आत्मज अहमद खॉ के गलत तौर पर दर्ज कर दिया और उनके द्वारा उक्त भूमि श्यामसुन्दर आत्मज चेलाराम व प्रतिवादी क्रम 02 के पिता मोहम्मद मुश्ताक को बेचान कर दी। वादीगण की सेटलमेंट से पूर्व जो सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारी की भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विलोपित किया गया है वह उनको करने का कोई कानूनी विधिक अधिकार नहीं है। बिना विधिक प्रक्रिया के उक्त खातेदारी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करने का सेटलमेंट विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं है।
4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।
5. प्रतिवादी क्रम 1, 2 व प्रतिवादी क्रम 06 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार कर वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज करते हुए तहसीलदार, लाडपुरा को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के आदेश पारित किये।
7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्त चतरा एवं प्रतिवादी ने अपील संख्या 2018/00292 एवं प्रतिवादी क्रम 1 श्यामसुन्दर, प्रतिवादी क्रम 2 मुनीर एवं प्रतिवादी क्रम 6 रोजीना अपीलान्त ने अपील संख्या 2018/00340 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्त स्वीकार करने का कथन किया।
8. दोनों अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गईं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गईं। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपील संख्या 2018/340 में अपीलान्त के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कान्हा द्वारा अपने जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.1967 को पीर मोहम्मद को बेचान कर कब्जा संभला दिया था । पीर मोहम्मद के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया और पीर मोहम्मद बहैसियत खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया । इसके उपरान्त पीर मोहम्मद ने वादग्रस्त आराजी मोहम्मद मुस्ताक अहमद एवं श्याम सुन्दर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा संभला दिया । इस विक्रय के आधार पर क्रेता के पक्ष में इंतकाल तस्दीक हो चुका है और कब्जा क्रेतागण का है । क्रेतागण ने वादग्रस्त आराजी में से प्लाट काटकर बेचान कर दिये हैं और आराजी पर मकान निर्माण कर क्रेतागण उसमें निवास कर रहे हैं । आराजी कृषि भूमि के रूप में काम नहीं आ रही है । इसी आधार पर जिला कलक्टर के द्वारा 92 (बी) के तहत कार्यवाही करते हुए आराजी को नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज किया गया है तब से यह आराजी नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज चली आ रही है । इसके बावजूद परीक्षण न्यायालय ने धारा 42 (बी) का उल्लंघन मानते हुए धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं । जिस समय कान्हा ने आराजी पीर मोहम्मद को बेचान की थी उस समय वादी चतरा का जन्म नहीं हुआ था । इसलिए पिता के द्वारा बेची हुई आराजी के सम्बन्ध में पिता की मृत्यु के इतने वर्ष के उपरान्त उसे दावा पेश करने का अधिकार नहीं था । पिता के द्वारा किये गये बेचान से उसके विपरीत कथन करते से वे एस्टोपड है । दावा अवधि बाधित है क्योंकि सन् 1967 का बेचान है । तहसीलदार के द्वारा आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है । धारा 175 की कार्यवाही की समय सीमा समाप्त हो चुकी है । वादीगण का दावा साबित नहीं होने के कारण खारिज किया गया परन्तु पीर मोहम्मद के पक्ष में खोले गये इंतकाल को प्रभावशून्य मानने में त्रुटि की है । वादीगण के द्वारा प्रथम क्रेता पीर मोहम्मद एवं नगर विकास न्यास को पक्षकार नहीं बनाया था । नगर विकास न्यास आवश्यक पक्षकार है । नॉन ज्वाइन्डर ऑफ पार्टीज का दोष था जिसके कारण दावा मेन्टेनेबल नहीं है । आराजी आबादी के काम आ रही है इसलिए परीक्षण न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं था । अपीलान्त सद्भावी क्रेता है उनके द्वारा सवर्ण व्यक्ति से आराजी क्रय की गई है । अपीलान्त ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो नजीरें पेश की थी उनका विश्लेषण नहीं किया गया है । सरकार को धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस नहीं दिया गया है । जिस समय आराजी पीर मोहम्मद को बेचान की गई थी उस समय धारा 42 बी की मियाद 03 वर्ष की थी । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 47, आरआरडी 1985 पेज 567, सीसीसी 2011 (2) पेज 642, सीसीसी 2012 (3) पेज 20, आरआरडी 1977 पेज 37, एससीसी 1984 (2) पेज 627 उद्धरत की ।


10. अपील संख्या 2018/340 में अपीलान्त के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्त के पिता कान्हा पुत्र पांचू भील के खाते में वादग्रस्त आराजी दर्ज थी । सेटलमेंट विभाग ने इस आराजी के नये खसरा नम्बर 217 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.21 हैक्टर कुल 06 किता की रकबा 1.47 हैक्टर कायम किये गये । उक्त आराजियात में से केवल खसरा नम्बर 270 की रकबा 0.38 हैक्टर कान्हा के वारिसान के द्वारा मोहन लाल आत्मज किशोर जाति मीणा को बेचान

की गई थी। सेटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 340, 346, 341, 343, 344 और 345 को पीर मोहम्मद के खाते में दर्ज कर दिया। सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई अधिकार नहीं था। पीर मोहम्मद ने गलत रूप से आराजी का विक्रय रेस्पोजेन्ट क्रम 01 और 02 को किया है। जिस रजिस्ट्री का उल्लेख रेस्पोजेन्ट ने किया है उसके बाबत कोई इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है फिर भी रजिस्ट्री को वैध माना गया है जो त्रुटिपूर्ण है। विक्रय पत्र धारा 42 (बी) के उल्लंघन में था जिसको सही रूप से शून्य घोषित किया गया है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है। तनकीयात का विवेचन विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 निरस्त फरमाया जावे।

11. दोनों अपीलों में रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 42 (बी) के उल्लंघन में विक्रय किया गया था। परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज कर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये हैं। अतः दोनों अपील अपीलान्त सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 बहाल रखे जावें।
12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। परीक्षण न्यायालय में वादी चतरा के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। दावे में यह कथन किया गया है कि उनके पिता कान्हा के खाते की वादग्रस्त आराजी को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते में दर्ज कर दिया। इस क्रम में परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है और यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता पीर मोहम्मद के खाते में दर्ज की गई है और पीर मोहम्मद से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने क्रय की है।
13. पत्रावली पर एक विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार कान्हा ने पीर मोहम्मद के पक्ष में एक विक्रय पत्र निष्पादित किया है जो दिनांक 20.10.1967 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध हुआ है और पीर मोहम्मद ने एक विक्रय पत्र प्रतिवादी श्यामसुन्दर आत्मज चेलाराम व मोहम्मद मुश्ताक आत्मज हाजी मोहम्मद के पक्ष में निष्पादित किया है। यह विक्रय पत्र दिनांक 16.02.99 को पंजीबद्ध हुआ है। पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2052-55 प्रदर्श-डी-1 संलग्न है जिसके अनुसार विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 01.03.1999 को क्रेता श्यामसुन्दर व मोहम्मद मुश्ताक के पक्ष में तस्दीक किया गया है। नकल जमाबन्दी संवत् 2056-59 प्रदर्श-डी-2 है। प्रदर्श-डी-3 कान्हा के द्वारा पीर मोहम्मद के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति है और प्रदर्श-डी-4 पीर मोहम्मद के द्वारा श्यामसुन्दर व मोहम्मद मुश्ताक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति है।
14. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी धारा 42 (बी) के उल्लंघन में कान्हा पुत्र पांचू के द्वारा पीर मोहम्मद के पक्ष में विक्रय की गई है। यह विक्रय धारा 42 (बी) के उल्लंघन में होने से Void- abinitio है। इस विक्रय के आधार पर पीर मोहम्मद को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और पीर मोहम्मद के द्वारा श्याम सुन्दर व मोहम्मद मुश्ताक के पक्ष में किया गया विक्रय भी अवैध है। दावा चतरा जो कि स्वयं को कान्हा का पुत्र बताकर आया है उनके द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

का पेश किया गया है । चतरा के पिता के द्वारा न 1967 में यह आराजी पीर मोहम्मद को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में चतरा को हक घोषणा का दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उनके पिता विक्रय का प्रतिफल प्राप्त कर आराजी पीर मोहम्मद के पक्ष में विक्रय कर चुके हैं और कब्जा संभला चुके हैं । वादी के द्वारा तथ्यों को छुपाकर यह दावा पेश किया गया है वो क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्त अपील संख्या 2018/00340 के द्वारा उद्वरत नजीर सीसीसी 2011 (2) पेज 642 यहाँ चस्प्या होती है । सीसीसी 2012 (3) पेज 20 भी यहाँ चस्प्या होती है । तदनुसार परीक्षण न्यायालय ने वादी का दावा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

15. जहाँ तक अपीलान्त के विद्वान् अभिभाषक का अपील संख्या 2018/00340 में यह कथन कि परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावे में निर्णय से तहसीलदार, लाडपुरा को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये हैं । इस क्रम में हमारा विनम्र मत है कि पत्रावली में सलग्न दस्जावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम विक्रय धारा 42 (बी) के उल्लंघन में हुआ है तो उसके उपरान्त समस्त विक्रय भी धारा 42 (बी) के उल्लंघन में ही माने जावेंगे क्योंकि धारा 42 (बी) के उल्लंघन में जो प्रथम विक्रय हुआ है उससे क्रेता को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और क्रेता अपने स्वत्व से बहतर स्वत्व अगले क्रेता को नहीं दे सकते और भू-धारक तहसीलदार धारा 42 (बी) के उल्लंघन में जो भी अन्तरण होता है उसमें धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम होता है । यदि तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा इस प्रकरण में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही की जाती है तो उसमें अपीलान्तगण को भी विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर मिलेगा वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं । तदनुसार परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।
16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त संख्या 2018/00292 एवं अपील संख्या 2018/00340 दोनों खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 बहाल रखा जाता है ।
17. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
 (भागवती जेठानी)  
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री  
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2018/00292

चतरा पुत्र कान्हा एवं भवनी बाई पुत्री कान्हा कौम भील निवासी ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्याम सुन्दर पुत्र चेलाराम जाति पंजाबी निवासी 3-के-8, तलवण्डी कोटा ।
2. मुनीर मोहम्मद आत्मज मोहम्मद मुश्तार जाति मुसलमान निवासी 5 - बी- 17, विज्ञान नगर, कोटा ।
3. जगदीश पुत्र गोवर्धन नागर धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. देवकिशन पुत्र भीमशंकर नागर जाति धाकड निवासी हाजी कृषि फार्म, झालावाड रोड, खानपुर ।
5. बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. रोजीन अंसानी पत्नी मोहम्मद सईद जाति मुसलमान निवासी 5-बी-17, विज्ञान नगर, कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
8. भैरू पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. सुल्तान पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. डिमला पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. मंजू बेवा बसन्ता जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. बन्टी पुत्र बसन्ता, जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 2018/00340

1. श्याम सुन्दर पुत्र चेलाराम जाति पंजाबी निवासी 3-के-8, तलवण्डी कोटा ।
2. मुनीर मोहम्मद आत्मज मोहम्मद मुश्तार जाति मुसलमान निवासी 5 - बी- 17, विज्ञान नगर, कोटा ।



3. रोजीना अंसानी पत्नी मोहम्मद सईद जाति मुसलमान निवासी 5-बी-17, विज्ञान नगर, कोटा ।

—अपीलार्थी

### बनाम

1. चतरा पुत्र कान्हा एवं भवनी बाई पुत्री कान्हा कौम भील निवासी ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. भवानी बाई पुत्री स्व० कान्हा जाति भील निवासीगण ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. जगदीश पुत्र गोवर्धन नागर धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. देवकिशन पुत्र भीमशंकर नागर जाति धाकड निवासी हाजी कृषि फार्म, झालावाड रोड, खानपुर ।
5. बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. भैरू पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. सुल्तान पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. डिमला पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. मंजू बेवा बसन्ता जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. बन्टी पुत्र बसन्ता, जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्या: 05/दावा/2013

चतरा पुत्र कान्हा एवं भवनी बाई पुत्री कान्हा कौम भील निवासी ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—वादी

### बनाम

1. श्याम सुन्दर पुत्र चेलाराम जाति पंजाबी निवासी 3-के-8, तलवण्डी कोटा ।
2. मुनीर मोहम्मद आत्मज मोहम्मद मुश्तार जाति मुसलमान निवासी 5 - बी- 17, विज्ञान नगर, कोटा ।
3. जगदीश पुत्र गोवर्धन नागर धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

4. देवकिशन पुत्र भीमशंकर नागर जाति धाकड निवासी हाजी कृषि फार्म, झालावाड रोड, खानपुर ।
5. बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. रोजीन अंसानी पत्नी मोहम्मद सईद जाति मुसलमान निवासी 5-बी-17, विज्ञान नगर, कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
8. भैरू पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. सुल्तान पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. डिमला पुत्र ग्यारसी जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. मंजू बेवा बसन्ता जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. बन्टी पुत्र बसन्ता, जाति भील निवासी लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।


—प्रतिवादी

### अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 29.10.2021 को बहाजरी अभिभाषक श्री राजेन्द्र वर्मा, श्री मनोज पुरी, अपील संख्या 18/00292 में अपीलान्त की ओर से एवं अपील संख्या 18/00340 में रेस्पोंडेन्ट की ओर से अभिभाषक । अपील संख्या 18/00340 में अपीलान्त की ओर से एवं अपील संख्या 18/00292 में रेस्पोंडेन्ट क्रम 01 की ओर से अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी । श्री मोहम्मद रफीक अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट क्रम 08 लगायत 12 की ओर से । पैरोकार सरकार अपील संख्या 2018/00292 में रेस्पोंडेन्ट क्रम 07 की ओर से एवं अपील संख्या 2018/00340 में रेस्पोंडेन्ट क्रम 11 की ओर से उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्त संख्या 2018/00292 एवं अपील संख्या 2018/00340 दोनों खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं ।

यह डिक्री आज तारीख 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई ।

मुहर

  
(भागवती जेठवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा